राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–447/2012/श्रीगंगानगर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–अ, श्रीगंगानगर। ...अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मुकीम आयुर्वेदिक सदन श्रीगंगानगर। ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा ....अपीलार्थी की ओर से

उप राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी

अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 31.05.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिन्हें आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या–114/आरवेट/श्रीगंगानगर/2011–12 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त श्रीगंगानगर (जिन्हें आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **अधिनियम** कहा जायेगा) की धारा 26 के अन्तर्गत पारित किया गया हैं, उक्त आदेश में कायम मांग राशि आई.टी.सी. क्लेम रूपये 14,440/– एवं ब्याज रूपये 2,888/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी का वित्त वर्ष 2007–08 का कर निर्धारण सशक्त अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 25.03.2010 द्वारा किया गया। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत रेक्टिफिकेशन हेतु कार्यवाही की गई। प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि में खरीद किये गये माल पर आई.टी.सी. क्लेम की गयी थी। आई.टी.सी. क्लेम की गयी खरीद में से प्रत्यर्थी को विक्रेता व्यवसाईयों द्वारा क्रेडिट नोट जारी किये गये। प्रत्यर्थी द्वारा इन क्रेडिट नोट की राशि पर धारा–18(1) ए से जी के प्रावधानों की सीमा से भिन्न निष्पादन पाये जाने के कारण आई.टी.सी. क्लेम अनुज्ञेय नहीं होने के कारण प्रत्यर्थी द्वारा क्लेम की गई आई.टी.सी. को अस्वीकार कर रिवर्स कर दिया, उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी की अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को अपास्त किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. अपील दर्ज की जाकर रिकार्ड व प्रत्यर्थी को तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गई।

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बतलाया एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी का कर निर्धारण वर्ष 2007–08 दिनांक 25.03.2010 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा वर्ष 2007–08 के लिए प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट के पार्ट तृतीय में 2,88,800/– रूपये की राशि क्रेडिट नोट की प्रदर्शित कर इसे सीधे सकल लाभ घोषित किया गया इस राशि को प्रत्यर्थी द्वारा धारा 18(1) के प्रावधानों के बाहर रखा गया है जबकि आई.टी.सी. क्लेम समस्त खरीद पर किया गया है। उक्त क्रेडिट नोट के रूप में प्राप्त राशि कुल आई.टी.सी. के लिए क्लेम की गई एवं उक्त खरीद से संबंधित होना स्वीकार किया गया। धारा 18(1)(ए) से धारा 18(1)(जी) के प्रावधानों में वर्णित निष्पादन होने की सीमा तक चुकाई गई आई.टी.सी. का दावा स्वीकार है। जबकि प्रत्यर्थी द्वारा आई.टी.सी. क्लेम करने के उपरान्त भी इस खरीद राशि में से उक्त क्रेडिट नोट की राशि जो कि आई.टी.सी. क्लेम की गई खरीद की राशि है। इसे धारा 18(1)(ए) से धारा 18(1)(जी) तक वर्णित प्रावधानों में निष्पादन के अतिरिक्त सीधे सकल लाभ में प्रदर्शित किया गया। अतः उक्त खरीद की राशि पर चुकाई गई आई.टी.सी. धारा 18(1) में वर्णित प्रावधानों के निष्पादन से बाहर होने के कारण अनुज्ञेय नहीं है। सकल लाभ विक्रय मूल्य का अभिन्न अंग होता है जबकि प्रत्यर्थी द्वारा क्रेडिट नोट की राशि को विक्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जाकर सीधे लाभ में प्रदर्शित किया गया है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. प्रकरण में व्यवसायी का वर्ष 2007–08 का कर निर्धारण 25.03.2010 को हुआ था व वर्ष 2007–08 की ऑडिट रिपोर्ट के समय यह पाया गया कि 2,88,800/– रू की राशि जो क्रेडिट नोट से प्राप्त हुई है को सीधे सकल लाभ में प्रदर्शित किया गया है। इस तथ्य के आधार पर व्यवसायी का अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी ने यह माना कि सकल लाभ विक्रय मूल्य का अभिन्न अंग होता है जबकि व्यवहारी ने क्रेडिट नोट की राशि को विक्रय मूल्य में शामिल नहीं किया है चूंकि धारा 18(1)(ए) से धारा 18(1)(जी) के प्रावधानों में वर्णित

लगातार.....3

निष्पादन होने की सीमा तक चुकायी गई आई.टी.सी. का दावा स्वीकार्य है जबकि व्यवसाई द्वारा खरीद पर आई.टी.सी. क्लेम करने के उपरांत भी इस खरीद राशि में से उक्त क्रेडिट नोट की राशि जो आई.टी.सी. क्लेम की खरीद की राशि है में शामिल न कर सीधे लाभ में प्रदर्शित किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने इस आधार पर उक्त राशि रू 2,88,800/– पर 4 प्रतिशत की दर से राशि रू. 11,552/– रिवर्स टैक्स व ब्याज 2888/– आरोपित किया है। अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन निर्णय में यह माना है कि चूंकि क्रेडिट नोट इन्सेन्टिव के रूप में बिक्री होने के बाद जारी किये गये है जिससे इनका प्रभाव आई.टी.सी. पर नहीं पडता है। अधिनियम की धारा 2(28) के अनुसार क्रय मूल्य की परिभाषा निम्न प्रकार दी गई है :–

2 (28) "Purchase price" means the amount paid or payable by a dealer as valuable consideration for the purchase of goods including all ancillary and incidental expenses and statutory levies payable but excluding the tax payable under this Act;

उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि क्रय मूल्य में अन्य कोई राशि शामिल नहीं की जा सकती। प्रकरण में व्यवहारी ने जिस मूल्य पर विक्रेता से माल क्रय किया है उसी राशि पर इनपुट टैक्स क्लेम किया है। इन्सेन्टिव के रूप में क्रेडिट नोट के जरिए राशि पर कोई इनपुट टैक्स क्लेम ही नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने रिवर्स टैक्स व ब्याज को अपास्त करते हुए कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अपास्त किया है जो विधिसम्मत है तथा जिसमे हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य